न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–87 / 2019

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1.धर्माराम पुत्र नारणाराम 2.जोगाराम पुत्र नारणाराम 3.हस्ताराम उर्फ हरचंदराम पुत्र नारणाराम 4.जालाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी भाखरीखेड़ा टापरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.राऊराम पुत्र गुणाराम 2.चिमाराम पुत्र गुणाराम 3.जालाराम पुत्र गुणाराम 4.भंवराराम पुत्र गुणाराम 5.जीयाराम पुत्र गुणाराम जाति जाट निवासी भाखरीखेड़ा टापरा तहसील पचपदरा 6.लिखमाराम पुत्र दलाराम 7.अचलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी आडेल तहसील गुड़ामालानी 8.कमलादेवी पत्नी मूलाराम 9.मूलाराम पुत्र मोटाराम 10.दिनेशकुमार पुत्र मूलाराम जाति मेधवाल निवासी कालूड़ी हाल निवासी भाखरीखेड़ा टापरा तहसील पचपदरा 11.आम्बाराम पुत्र मसराराम जाति मेगवाल निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा 12.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2023.07.16 21:32:53 IS
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादी एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 28.6.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भाखरी खेडा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 193/15 रकबा 120 बीधा वर्तमान खसरा संख्या 213/15,214/15 व 215/15 कुल रकबा 120 बीधा व खसरा संख्या 150/15 रकबा 40 बीधा भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की खातेदारी भूमि के लगते प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की खातेदारी भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी के भूमियों के मध्य सीमा पर सेढा माठ वक्त सेन्टलमेंट के बने हुए थे,लेकिन धीरे धीरे आंधी तूफान वर्षात से अस्तित्व में नहीं रहे है। प्रतिवादी पक्ष आये दिन वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करते रहते है और वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा करने की फिराक में रहते है। वादीगण की ओर से अपनी वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी का आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया,जो बाद स्वीकार किया। वादग्रस्त भूमि की पैमाइश की गई,जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण होना पाया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 11 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मौका फर्द में दर्शित अनुसार अवैध अतिक्रमण हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करवानें व प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने [illegible] की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 [illegible] पी.डब्ल्यू–3 हरताराम उर्फ हरचंदराम व पी.डब्ल्यू–4 [illegible] के बयानात करवाये गयें। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम भाखरी खेड़ा की खेत खसरा संख्या 150/15 की जमाबंदी संवत 2070–2073,ई.एक्स.पी–02 इसी ग्राम की खसरा संख्या 193/15

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जमाबंदी संवत 2070 से 2073, ई.एक्स.पी–03 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति, ई.एक्स पी–04 वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट भिजवानें का पत्र प्रति व ई.एक्स पी–5 फर्द मौका नेखमबंदी एवं ई.एक्स.पी–06 नेखमबंदी मौका फर्द के संलग्न नक्शा प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 193/15 रकबा 120 बीधा वर्तमान खसरा संख्या 213/15,214/15 व 215/15 कुल रकबा 120 बीधा व खसरा संख्या 150/15 रकबा 40 बीधा भूमि अवस्थित है। वादीगण का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में रहवासीया ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। वादीगण की खातेदारी भूमि के सेढा सेढ जुड़ती प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की खातेदारी भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी के भूमियों के मध्य सीमा पर सेढा माठ वक्त सेन्टलमेट के बने हुए थे,लेकिन धीरे धीरे आंधी तूफान वर्षात से अस्तित्व में नहीं रहे है। प्रतिवादी पक्ष झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है,जो वादीगण की भूमि को हड़प करने की नियत रखतें है और आये दिन वादीगण की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैघ कब्जा करने की फिराक में रहने के कारण वादीगण की ओर से अपनी वादग्रस्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र नेखमबंदी करवानें का पेश किया गया। जो वादीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को नोटिस जारी हुए और बाद सुनवाई वादीगण का आवेदन स्वीकार किया गया और राजस्व टीम द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाइश की कार्यवाही की गई,जिसमें मौका फर्द में स्पष्ट अंकन हुआ कि वादीगण की खातेदारी भूमि में [illegible] बीधा भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा कर रखा है। वादीगण की ओर से प्रतिवादी पक्ष अवैध कब्जा हटाने का निवेदन किया,लेकिन प्रतिवादी पक्ष की ओर से इन्कार किया और कहा कि उक्त अवैध अतिक्रमण से ओर अधिक भूमि पर कब्जा कर दिया जावेगा। इस कारण वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का वाद पेश किया है। अपनी बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

को आगे ओर जारी रखतें हुए तर्क किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हकूक निहित नहीं है,लेकिन प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। क्योकि नेखमबंदी मौका रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि वादीगण की भूमि रकबा 29 बीधा पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा किया हुआ है,जिसे हटाया जाना उचित है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध कब्जा रकबा 29 बीधा भूमि पर मौका फर्द मय नक्शे में दर्शाये अनुसार हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करावें एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी की जावें,कि वादीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करे एवं पुनः जबरन कब्जा नहीं किया जावें।

5.हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 193/15 रकबा 120 बीधा वर्तमान खसरा संख्या 213/15,214/15 व 215/15 कुल रकबा 120 बीधा भूमि वादी संख्या 1 से 03 की खातेदारी व खसरा संख्या 150/15 रकबा 40 बीधा भूमि वादी संख्या 04 की खातेदारी में अवस्थित है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 व 02 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण की ओर से अपनी खातेदारी भूमि में रकबा 29 बीधा पर प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध कब्जा को हटाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो कि हल्का पटवारी जसोल व भू अभिलेख निरीक्षक जसोल के पत्र के संलग्न फर्द मौका नेखमबंदी रिपोर्ट दिनांक 18.6.2019 में स्पष्ट अंकन किया है,कि वादीगण की खातेदारी भूमि में से कुल रकबा 29 बीधा भूमि पर प्रतिवादी की ओर से अवैध कब्जा कर रखा है,जो कि ई.[illegible] अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा कर रखा है,जो कि अवैध कब्जा की भू[illegible] के अधिकारी है,उक्त तथ्यों को बल बयानात से मिलता है। प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का [illegible]प्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। उपरोक्त विवेचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री विवेक व्यास, ,आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
1.धर्माराम पुत्र नारणाराम 2.जोगाराम पुत्र नारणाराम 3.हस्ताराम उर्फ हरचंदराम पुत्र नारणाराम 4.जालाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी भाखरीखेड़ा टापरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.राऊराम पुत्र गुणाराम 2.चिमाराम पुत्र गुणाराम 3.जालाराम पुत्र गुणाराम 4.भंवराराम पुत्र गुणाराम 5.जीयाराम पुत्र गुणाराम जाति जाट निवासी भाखरीखेड़ा टापरा तहसील पचपदरा 6.लिखमाराम पुत्र दलाराम 7.अचलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी आडेल तहसील गुड़ामालानी 8.कमलादेवी पत्नी मूलाराम 9.मूलाराम पुत्र मोटाराम 10.दिनेशकुमार पुत्र मूलाराम जाति मेधवाल निवासी कालूड़ी हाल निवासी भाखरीखेड़ा टापरा तहसील पचपदरा 11.आम्बाराम पुत्र मसराराम जाति मेगवाल निवासी कालूड़ी तहसील पचपदरा 12.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः—183,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 87 / 2019

निर्णय दिनांक :—28.6.2023

वादीगण की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 28.6.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष [illegible] के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वादीगण का वाद स्वीकार [illegible] ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 193/[illegible] बीघा [illegible] रकबा 40 संख्या 213 / 15,214 / 15 व 215 / 15 कुल रकबा 120 बीघा व खसरा संख्या 150/[illegible] संख्या 1 बीघा भूमि में नेखमबंदी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.6.2019 प्रदर्श—5 के अनुसार प्रति[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:53 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

से 11 द्वारा किया गया कुल रकबा 29 बीधा भूमि अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है तथा अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 11 को जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में दखलदान्जी नहीं करे। प्रदर्श–05 व 06 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 28.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	––	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	––––––
जोड़	–––	जोड़	–––––

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:53 IST
Reason: SelfAttested